

पेश हुई। वकील पत्रकार उपस्थित।  
दंड देत आदेश अक्सर दिया जाता है।  
दिनांक 14.2.18 को पेश है।

3rd  
16.1.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उपस्थित।  
दंड देत पत्रावली दिनांक 28.3.18 को पेश

14.2.18

29.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा  
कन्ट्रोल कार्य स्थगित करने  
के लिए अर्ज दायर किया जा  
सकी। दिनांक 25.4.18  
को पेश है।

पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही  
के लिए न्याय आपके द्वारा कैम्प स्थल  
में पेश हो। हिम्मतपुरा (30.5.18)

पत्रावली आज राजस्व लीड अदालत न्याय आपके  
द्वारा कैम्प कोर्ट हिम्मतपुरा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी  
सं. 3 स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत  
हिम्मतपुरा ने की है। वादीगण ने खसरा नं. 193 रकबा 9  
वर्ग 13 किस्वा स्थित ग्राम नगराजपुरा प.ह. करणगढ़  
श्री.नि. क्षेत्र तूंगा तह. बस्सी जयपुर के सम्बन्ध में दावा  
विभाजन, जोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया।  
पत्रकारों को वादपत्र पर सुना गया एवं कैम्प कोर्ट  
स्थल पर तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड की जानकारी  
ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं वादीगण  
प्रतिवादी सं. 3 को वादपत्र पर सुनने एवं कैम्प कोर्ट  
हिम्मतपुरा में मौके पर तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड  
का अवलोकन करने एवं उपस्थित मौत बिरान से  
वादग्रस्त शरी के सम्बन्ध में जानकारी लेने एवं  
लीड अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार

लिंगगदेवी  
इन्द्रा देवी  
*[Signature]*  
कैलाशरी

आगत  
सरपंच  
ग्राम पंचायत हिम्म  
बस्सी जिला जयपुर

वादग्रस्त आशजी खसरा नं. 193 रकबा व कीथा  
 13 बिस्वा स्थित ग्राम नगराजपुरा थ. इ. करणजद  
 भू. नि. क्षेत्र वृंगा 08 बस्सी जयपुर के सम्बन्ध  
 में रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खसरा  
 नं. 193 के खातेदारों से वादीगण को कोई सम्बन्ध  
 नहीं है न ही खसरा नं. 193 के खातेदारों से  
 वादीगण द्वारा कोई रिलीफ चाही गयी है। वादीगण  
 द्वारा दवा गलत पेश किया गया है ऐसी स्थिति  
 में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा  
 चाही गयी रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते  
 हैं अतः वादीगण को वाद खारिज किया जाता है।  
 डिफ़ी पर्व जारी हो। पत्रावली नम्बर से कर हो।

आज दिनांक 30.05.18 को यह निर्णय न्याय  
 आफिस इर केम कोर्ट दिल्लीपुरा में मजमें आम  
 में सुनाया गया।

Sind  
 30.5.18  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 बस्सी जिला जयपुर

(Faint vertical text on the left margin, possibly a stamp or administrative notes)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकदमा बस्सी जिला जयपुर व अलजास.  
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कंचनदेवी पुत्री स्व. रामसहाय पत्नि हनुमानसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी बालानन्दजी का रास्ता, जैन मसाला उद्योग के सामने, उनियारा हाउस, चांदपोल बाजार जयपुर।		1. ब्रजमोहन पुत्र स्व. रामसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी केयर ऑफ विमला देवी चौहान बगरु वालों का रास्ता डाकोतान का मोहल्ला, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. कैलाशी देवी पुत्री स्व. रामसहाय पत्नि शिवलाल जाति बलाई निवासी ग्राम नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी मोहम्मद खां का पुल भगवानदास की चक्की के पास काली पलटन टॉक राजस्थान।		2. श्यामलाल उर्फ श्यामकुमार पुत्र स्व. श्री रामसहाय जाति बलाई निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी 196/7, गली नं. 7,CBQ आनन्द पर्वत नई दिल्ली-110005
3. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. रामसहाय पत्नि हनुमान प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी प्लाट नं. 6, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, न्यू प्राइवेट बस स्टेण्ड के सामने टॉक, राजस्थान।		3. कमलेश देवी उर्फ कमला पत्नि स्व. श्री वेदप्रकाश जाति बलाई निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी 196/7, गली नं. 7,CBQ आनन्द पर्वत नई दिल्ली-110005
		4. प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री वेदप्रकाश जाति बलाई निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी हाल निवासी 196/7, गली नं. 7,CBQ आनन्द पर्वत नई दिल्ली-110005
		5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
		6. उपपंजीयक बस्सी।
		7. बनवारी पुत्र जगदीश नारायण नारोलियां जाति बलाई निवासी जे-2/13 कृष्ण विहार सुल्तानपुरी दिल्ली 110086
		8. राकेश पुत्र जगदीश नारायण नारोलियां जाति बलाई निवासी रानीबाग श्रीनगर गली नं. 2 फ्लेट नं. 102 फ्लोर नं. 3 नई दिल्ली 110034
		9. मनोज पुत्र जगदीश नारायण नारोलियां जाति बलाई निवासी जे-2/13 कृष्ण विहार सुल्तानपुरी दिल्ली 110086

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 53/15

निर्णय दिनांक 30.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 193 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम नगराजपुरा पटवार हल्का करणगढ तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 193 के खातेदारों से वादीगण का कोई संबंध नहीं है न ही ख.नं. 193 के खातेदारों से वादीगण द्वारा कोई

रिलीफ चाही गयी है। वादीगण द्वारा दावा गलत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रह संबंध में वादीगण द्वारा चाही गयी रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादीगण खारिज किया जाता है। ..... निजी..... मुबलिक..... बाबत.....  
 ..... खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी भालाना आज की तारीख तक..... को अदा करें।  
 बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.18 को जारी किया गया।



मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	दस्तख्त ओहदा	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी	सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर		
दावा			दावा			
स्टाम्प			स्टाम्प			
बकालतनामा			बकालतनामा			
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत			
सबूत			सबूत			
महन्ता वकील			महन्ता वकील			
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन			
फीस			फीस			
कमिश्नर			कमिश्नर			
बाबत इजराय			बाबत इजराय			
हुक्मनामा			हुक्मनामा			
मुतफरिक			मुतफरिक			
मीजान			मीजान			

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 बस्सी जिला जयपुर